


न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म०प्र०,



A 436-II/2005

छोटे तनय बजीर वक्श मुसलमान निवासी ग्राम रेहदा तहसील चितरंगी जिला
सीधी ४ म०प्र० आवेदक/अपीलार्थी

वनाम

पारस तनय सुगन लाल बेसवार निवासी ग्राम रेहदा तहसील चितरंगी जिला
सीधी ४ म०प्र० अनावेदक/रेस्पाण्डेंट

द्वितीय अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मान
आयुक्त महोदय सीवा संभाग सीवा के राजस्व
प्रकरण क्रमांक - 101/अपील/01x02 आदेश दिन
13.12.04

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा-4(1) 28 म०प्र० भू-
राजस्व संहिता 1959

क्रमांक 468
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 5-4-05 द्वारा
राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर



मान्यवर,

निम्नलिखित आधारों पर द्वितीय अपील प्रस्तुत है:-

1. यह कि आदेश आधीनस्थ न्यायालय विधि प्रक्रिया एवं सहज न्याय के विपरीत होने के कारण काविल निरस्तगी है ।
2. यह कि प्रकरण में सहायक बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रक्ति भी अपने आप अपूर्ण था किन्तु अपूर्ण एवं आधे अधूरे प्रक्तिवेदन का विना सूक्ष्म - विश्लेषण किये विना निर्णय पारित करने में आधीनस्थ न्यायालय ने बहुत बड़ी त्रुटि की है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-436-एक/05

जिला - सीधी

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 03/05/2019 | <p>प्रत्यर्थी अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। अपीलार्थी दिनांक 27.12.2018 विगत 4 माह से अनुपस्थित हैं। जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को प्रकरण को आगे चलाए रखने में कोई रुचि नहीं है। अतः यह प्रकरण अपीलार्थी की अरुचि में समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम. शर्मा) सदस्य</p> | |